WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

DECEMBER 2021

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-2661685

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri Shashank Jain
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri G.C. Sharma
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

INDEX

- 'RBI डायरेक्ट स्कीम': G-Sec में निवेश होगा आसान, समझें क्या है ये?
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दो नए ग्राहक हितैषी योजनाओं की शुरुआत
- MSME को 1 करोड़ तक लोन देने का रास्ता साफ, Google-Sidbi ने मिलाया हाथ
- 1 दिसंबर से लागू हो रहे हैं ये नियम
- अब ऑनलाइन बदल सकते हैं ईपीएफ नॉमिनी, ईपीएफओ ने बढ़ाई सुविधा
- पीएफ खाते से भर सकते हैं एलआईसी प्रीमियम, जमा करना होगा फॉर्म-14
- ईएसआईसी ने कोरोना राहत के मानदंड में दी ढील, 70 दिनों से घटाकर 35 दिन कर दिया अंशदान अवधि
- आयकर पोर्टल पर मिलेगा बड़े लेनदेन का स्टेटमेंट
- आयकर विभाग का सुझाव: ई-फाइलिंग पोर्टल से भरें रिटर्न, आईटीआर भरने की अंतिम तारीख है 31 दिसंबर
- Scrap policy 2021: पुरानी गाड़ी को कबाड़ में बदलने के बाद नई पर टैक्स छूट देने पर हो रहा विचार
- Meerut Master Plan 2031 : मोबाइल के टच स्क्रीन पर खुलेगी मेरठ महायोजना
- चार वर्ष में तैयार हो जाएंगी 32 औद्योगिक परियोजनाएं
- शहर में बनेंगे लॉजिस्टिक पार्क और वेयरहाउस, भूमि तलाशेंगे अधिकारी
- यूपी को एक ओर सौगात- जेवर एयरपोर्ट
- पुराने बिल्डर प्रोजेक्ट भी रेरा के दायरे में आएंगे: सुप्रीम कोर्ट
- अब शोरूम से ही मिल जाएंगे नए वाहनों के नंबर
- यूपी 112 से जोड़े गए 9636 व्यावसायिक प्रतिष्ठान, घटना होने पर तत्काल मिलेगी मदद
- अब एक क्लिक पर दर्ज होगी साइबर अपराध की शिकायत

'RBI डायरेक्ट स्कीम': G-Sec में निवेश होगा आसान, समझें क्या है ये?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज (Government Securities) में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है. इसके बाद रीटेल निवेशकों (Retail Investors) के लिए सरकारी सिक्योरिटीज (G-Sec) को खरीदना आसान हो जाएगा. स्कीम के तहत रिटेल इन्वेस्टर्स को प्राइमेरी और सेकेंडरी दोनों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट का ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा. अभी तक इस तरह सिर्फ बैंक या संस्थागत निवेशक ही इसे एक्सेस कर पाते थे.

क्या है RBI की ये नई स्कीम?

RBI की रिटेल डायरेक्ट स्कीम का ऐलान 5 फरवरी 2021 में गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने किया था. शक्तिकांत दास ने इसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल सुधार बताया था. स्कीम से रीटेल निवेशकों की सरकारी सिक्योरिटीज मार्केट तक पहुंच आसान हो जाएगी. वहीं, रीटेल निवेशक अब मुफ्त में RBI में अपना सरकारी सिक्योरिटीज अकाउंट (रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट- RDG) खोल सकते हैं.

RDG अकाउंट को ऑनलाइन खोला जा सकता है. इसका फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको रजिस्टर्ड फोन नंबर और ईमेल आईडी पर आए OTP को दर्ज करना होगा. स्कीम के तहत रिटेल इन्वेस्टर मुफ्त में RBI के साथ अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट (गिल्ट अकाउंट) ओपन और मेंटेन कर सकेंगे. जुलाई में RBI ने ऐलान किया था कि इन्वेस्टर्स के पास प्राइमेरी ऑक्शन में बोली लगाने का एक्सेस होगा. साथ ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए सेंट्रल बैंक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी इन्वेस्टर्स को मिलेगा.

2005 में लॉन्च किया गया था NDS-OM:

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को नेगोसिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग (NDS-OM) कहते हैं. इसके जरिए सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है. 2005 में इसे लॉन्च किया गया था. इस सिस्टम को सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता लाने के लिए डिजाइन किया गया है.

सरकारी सिक्योरिटीज होती क्या हैं?

सरकारी सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सरकार की तरफ से जारी किया जाता है. इन्हें G-Sec भी कहते हैं. RBI के मुताबिक, सरकारी सिक्योरिटी, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें जारी करती हैं और इसमें ट्रेडिंग की जाती है. फंड जुटाने के लिए इन्हें जारी किया जाता है. ट्रेजरी बिल और डेट सिक्टोरिटी के रूप में इन्हें जारी किया जाता है. ट्रेजरी बिल 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के लिए जारी किए जाते हैं. वहीं, डेट सिक्योरिटी 5 से 40 सालों तक के लिए जारी किए जाते हैं.

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Corporate Office & Works :

303-A, INDUSTRIAL AREA, PARTAPUR MEERUT – 250103 (U.P.) INDIA

Tel. fax.: 0121-2440711 Email- shubham@ndf.vsnl.net.in

PARVATI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED

(Formerly Known as Shubham Fibres (P) Ltd.)

B-19, INDUSTRIAL ESTATE, PARTAPUR, MEERUT – 250103 (U.P.) INDIA

Tel. Fax.: 0121-2440711 Mobile: 9837072188

Email: shubham@ndf.vsnl.net.in

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दो नए ग्राहक हितैषी योजनाओं की शुरुआत

1. आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना

- छोटे निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने नया अवसर
- छोटे निवेशक आसानी से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अपना सरकारी प्रतिभूति खाता ऑनलाइन निःशुल्क खोल सकेंगे और उसका रख-रखाव कर सकेंगे
- छोटे निवेशकों के लिए डिजिटल मंच पर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना अब होगा आसान

2. रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना

- 'एक राष्ट्र-एक लोकपाल'- एक पोर्टल, एक ई-मेल और एक पते के साथ
- ग्राहकों के शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज जमा करने, स्टेटस ट्रैक करने और फीडबैक देने के लिए एक ही पोर्टल
- आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतों के लिए एकीकृत योजना
- शिकायत दर्ज करने और शिकायत निवारण पर जानकारी में सहायता के लिए बहुभाषी टोल-फ्री नंबर

SARU METALS

SARU SMELTING PRIVATE LIMITED

SARU NAGAR, SARDHANA ROAD, MEERUT- 250001 (INDIA)

Tel.: 0121-2556051, 2555449, Fax: 0121-2555969

Email: info@sarumetals.com

Website: www.sarumetals.com

MSME को 1 करोड़ तक लोन देने का रास्ता साफ, Google-Sidbi ने मिलाया हाथ

सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्योगों (MSME) को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए सिडबी (SIDBI) और Google India ने हाथ मिलाया है। Google India ने लोन प्रोग्राम के तहत 110 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड रखा है। इस मौके पर बैंक के CMD एस रमन्न ने कहा कि गूगल के साथ सिडबी मिलकर छोटे उद्योगों को कर्ज मुहैया कराएगा।

Sidbi उन MSME को लोन मुहैया कराएगी, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक है। ऐसी कंपनियों को 25 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का लोन मिलेगा। इस साझेदारी में महिला उद्यमियों द्वारा चलाई जा रही इकाइयों को कर्ज देने में वरीयता दी जाएगी। इसका ब्याज भी कम दर पर होगा।

रमन्न ने कहा कि MSME देश की इकोनॉमी की लाइफ लाइन हैं। वे ग्रोथ में मदद करते हैं। इस क्रम में Sidbi ने इस साल अप्रैल में घटी ब्याज दरों वाले दो उत्पाद तैयार किए थे। ताकि MSME को कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आक्सीजन सिलेंडर, आक्सीमीटर जैसे अन्य जरूरी सामानों की आपूर्ति बढ़ने में सक्षम बनाया जा सके। SIDBI ने कहा था कि इन योजनाओं के तहत की गयी वित्तीय सहायता से महामारी के दौरान MSME द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर और जरूरी दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी।

SIDBI ने तेजी से कर्ज देने के लिए दो उत्पादों की घोषणा की थी। इनमें पहला श्वांस (कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के खिलाफ युद्ध में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को सिडबी की सहायता) था। दूसरा उत्पाद आरोग (एमएसएमई को भरपाई और सामान्य वृद्धि के लिए सिडबी की सहायता) था।

ये योजनाएं सरकार के मार्गदर्शन में तैयार की गईं थी। इनका मकसद ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति से संबंधित उत्पादन और सेवाओं के लिए वित्त पोषणा मुहैया कराना था।

इन योजनाओं में सभी दस्तावेजों या सूचनाओं के मिलने के 48 घंटों के भीतर 4.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की आकर्षक ब्याज दर पर दो करोड़ रुपये की रकम एमएसएमई इकाई को दी जा सकती है।

1 दिसंबर से लागू हो रहे हैं ये नियम

PNB बचत खाते के ब्याज में कटौती:

पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) ने 1 दिसंबर 2021 से बचत खाते की ब्याज दर में कटौती करने का फैसला किया है। इससे पहले PNB ने 1 सितंबर 2021 को बचत खाते पर ब्याज दर में कटौती की थी। पंजाब नेशनल बैंक में मौजूदा और नए, सभी सेविंग्स फंड अकाउंट्स के लिए ब्याज दर अभी 2.90 फीसदी सालाना है। 1 दिसंबर 2021 से बचत खाते में 10 लाख रुपये से कम सेविंग फंड अकाउंट बैलेंस के लिए ब्याज दर 2.80% सालाना होगी। वहीं 10 लाख रुपये और इससे ज्यादा के बैलेंस के लिए ब्याज दर 2.85% सालाना होगी। ये ब्याज दरें डॉमेस्टिक और एनआरआई दोनों तरह के सेविंग अकाउंट के लिए लागू होंगी।

SBI क्रेडिट कार्ड से EMI ट्रांजेक्शन महंगा:

SBI के क्रेडिट कार्ड से अब EMI पर खरीद महंगी होने वाली है। SBI कार्ड्स, 1 दिसंबर 2021 से सभी EMI खरीद ट्रांजेक्शंस पर 99 रुपये प्लस टैक्स की प्रोसेसिंग फीस वसूलेगी। मर्चेंट आउटलेट्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट और ऐप पर एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर किए गए सभी ईएमआई खरीद लेनदेन के लिए प्रोसेसिंग शुल्क लगाया जाएगा। यह प्रोसेसिंग शुल्क, क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर खरीद पर कार्ड प्रदाता द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज राशि के अतिरिक्त है।

UAN-आधार लिंक न होने पर नुकसान:

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने UAN और आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख आगे बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दी है। पहले यह डेडलाइन 31 अगस्त 2021 तक थी। अगर आधार और यूएएन को लिंक नहीं करते हैं तो 1 दिसंबर 2021 से एंप्लॉयर, कर्मचारी के ईपीएफ खाते में अपना मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं डाल सकेगा। साथ ही इंप्लॉई को अपना प्रोविडेंट फंड निकालने में भी मुश्किल होगी। EPFO ने पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन और दूसरे बेनिफिट्स के लिए आधार कार्ड को पीएफ यूएएन (universal account number) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। श्रम मंत्रालय ने इस नए नियम को लागू करने के लिए कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 (Code of Social Security 2020) के सेक्शन 142 में संशोधन किया है।

अब ऑनलाइन बदल सकते हैं ईपीएफ नॉमिनी, ईपीएफओ ने बढ़ाई सुविधा

नौकरीपेशा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पूछे बिना भी अब ऑनलाइन अपना ईपीएफ नॉमिनी बदल सकते हैं। पीएफ खाताधारक नया पीएफ नॉमिनेशन दाखिल कर खुद ही पिछले नॉमिनी को बदल सकते हैं।

दरअसल, ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के परिवार की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में प्रोविडेंट फंड (पीएफ) में नॉमिनेशन की सुविधा दी है। इसके तहत सदस्य ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉगइन कर ईपीएफ/ईपीएस (इंप्लाई पेंशन योजना) नॉमिनेशन डिजिटल तरीके से जमा कर सकते हैं।

ईपीएफओ ने ट्वीट में कहा कि ईपीएफ सदस्य मौजूदा ईपीएफ/ईपीएस नॉमिनी बदलने के लिए नया नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इससे पूर्व में किया गया नामांकन रद्द हो जाएगा। सुविधा के तहत सदस्य की मृत्यु के बाद आसानी से पीएफ, ईपीएस और एंप्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना पाने में मदद मिलेगी।

ई-नॉमिनेशन के जरूरी दस्तावेज:

सदस्य के लिए...

- एक्टिवेटेड व आधार लिंक्ड यूएएन।
- मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ।
- फोटो और पते के साथ अपडेटेड मेंबर प्रोफाइल।

नॉमिनी के लिए...

- स्कैन फोटो (जेपीजी फॉर्मेट में 3.5 सेमी X 4.5 सेमी)।
- आधार, बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड और पता।

10 आसान चरणों में बदल सकते हैं नॉमिनी:

1. epfindia.gov.in पर लॉगइन करें।
2. 'सर्विस' पर जाकर 'फॉर इंप्लायीज' पर क्लिक करें।
3. 'मेंबर यूएएन/ऑनलाइन सर्विस' पर यूएएन नंबर एवं पासवर्ड से लॉगइन करें।
4. 'मैनेज' टैब के तहत ई-नॉमिनेशन का चयन करें।
5. फैमिली डिक्लरेशन अपडेट को 'एड फैमिली डिटेल्स' पर जाएं।

6. रकम के हिस्से के डिक्लेयर करने के लिए 'नॉमिनेशन डिटेल्स' पर क्लिक करें।
7. 'सेव ईपीएफ नॉमिनेशन' पर क्लिक करें।
8. ओटीपी पाने के लिए 'ई-साइन' पर क्लिक करें।
9. आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
10. ओटीपी डालते ही ईपीएफओ पर ई-नॉमिनेशन पंजीकरण हो जाएगा।

ऑनलाइन क्लेम में होगी आसानी:

इस सुविधा से सदस्यों के लिए नॉमिनी बदलने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। साथ ही नॉमिनी को ऑनलाइन क्लेम की सुविधा भी मिलेगी। ध्यान देने वाली बात है कि सदस्य अपने ई-नॉमिनेशन में एक से अधिक पीएफ नॉमिनी जोड़ सकते हैं। ईपीएफ, ईपीएस नॉमिनेशन ऑनलाइन जमा करने के बाद दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं होगी।

PASWARA GROUP

PASWARA PAPERS LIMITED

AN ISO 9001: 2008 Certified Company

Paper Product

High RCT Paper, High Ply Bond Paper, High BF Kraft Paper, White Craft Liner Paper

Regd. Office:

Paswara House, Baghpat Road, Meerut (U.P.) India
Tel.: +91-121-2511692, Fax: +91-121-4056535
Email: paswara@ndf.vsnl.net.in

Factory:

N.H.-58, Paswara Border, Mohiuddinpur, Delhi Road, Meerut (U.P.) India
Tel.: +91-121-2410502/503 Fax: +91-121-2410505
Email: info@paswara.com

पीएफ खाते से भर सकते हैं एलआईसी प्रीमियम, जमा करना होगा फॉर्म-14

अगर आपके पास भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की जीवन बीमा पॉलिसी है और आप वित्तीय मुश्किलों की वजह से उसके प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने इंप्लाई प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) खाते से भी एलआईसी के प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए आपको ईपीएफ एडवांस की सुविधा का लाभ लेना होगा।

दरअसल, इंप्लाई प्रोविडेंट फंड स्कीम-1952 के तहत ईपीएफ खाताधारक अपने जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान ईपीएफ एडवांस के जरिये कर सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में फॉर्म-14 जमा करना होगा। इस फॉर्म को जमा करते समय ईपीएफ खाते में मौजूद धनराशि कम-से-कम आपके दो साल के एलआईसी प्रीमियम के बराबर होनी चाहिए। ईपीएफ खाताधारक एक बार ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

पीएफ खाता और पॉलिसी को करना होगा लिंक:

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए एलआईसी और ईपीएफओ दोनों को एलआईसी पॉलिसी एवं ईपीएफ खाते को जोड़ने की अनुमति देनी होती है। हालांकि, इस बात का ध्यान रखना होगा कि ईपीएफओ की यह सुविधा सिर्फ एलआईसी प्रीमियम के भुगतान पर ही उपलब्ध है। किसी दूसरी बीमा कंपनी के प्रीमियम के भुगतान के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

जांच और सत्यापन के बाद ही मंजूरी:

- आप ईपीएफ खाते के जरिये एलआईसी प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके पीएफ खाते में पर्याप्त रकम होनी चाहिए।
- प्रीमियम भुगतान से पहले आपके ईपीएफ खाते का पूरा सत्यापन किया जाता है।
- किसी भी प्रीमियम के भुगतान से पहले कमिश्नर जांच कर इस बात की पुष्टि करेंगे कि सब कुछ सही है।
- इसके बाद ही आप अपने ईपीएफ खाते से किसी भी किस्त का भुगतान कर सकेंगे।

देनी होगी अग्रिम सूचना:

अगर आप नौकरीपेशा हैं और एलआईसी प्रीमियम का भुगतान करने के लिए यह सुविधा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ईपीएफओ को इसकी सूचना देना होगी। आप एलआईसी की पॉलिसी खरीदते वक्त भी ईपीएफओ को सूचित कर सकते हैं या कुछ इंस्टॉलमेंट भरने के बाद फॉर्म-14 जमा कर सकते हैं, जो ईपीएफओ की वेबसाइट पर

उपलब्ध है। आवेदन को स्वीकृति मिलने के बाद ईपीएफ खाते से भुगतान तारीख से पहले ही एलआईसी का प्रीमियम अपने आप कट जाएगा।

ईएसआईसी ने कोरोना राहत के मानदंड में दी ढील, 70 दिनों से घटाकर 35 दिन कर दिया अंशदान अवधि

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ईएसआईसी-बीमाकृत कर्मचारियों को कोविड-19 राहत कोष से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड में ढील दे दी है। ईएसआईसी ने बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर न्यूनतम अंशदान अवधि को 70 दिनों से घटाकर 35 दिन कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जून 2021 में कोविड-19 राहत कोष को मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद ईएसआईसी के दायरे में आने वाले इंश्योर्ड कर्मचारी की कोरोना से मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है। स्कीम के तहत ईएसआईसी कार्ड धारक की कोरोना से मौत होने पर ईएसआईसी की ओर से उस पर निर्भर परिवारजनों को वित्तीय राहत मुहैया कराई जाती है।

इसी में और राहत देते हुए कोविड-19 रिलीफ फंड की पात्रता शर्तों को आसान बनाया गया है। अब बीमाकृत व्यक्ति की कोविड से मृत्यु के मामले में राहत कोष का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम अंशदान अवधि को 70 दिनों से घटाकर 35 दिन कर दिया गया है। ईएसआईसी की 18वीं बोर्ड बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। अभी तक नियम था कि मृतक बीमित व्यक्ति के संदर्भ में कोविड रोग का पता चलने, जिससे मौत हुई हो, के ठीक पूर्ववर्ती एक साल के दौरान कम से कम 70 दिन का अशंदान होना चाहिए।

आश्रितों को मिलती है वित्तीय मदद:

ईएसआईसी कोविड राहत योजना के तहत न्यूनतम राहत 1800 रुपये प्रतिमाह है। ईएसआईसी के तहत आने वाले कर्मचारी ईएसआई एक्ट के अंतर्गत इंश्योर्ड होते हैं। इंश्योर्ड कर्मचारी की कोविड-19 से मृत्यु होने पर उसके पात्र आश्रितों को उनके बैंक खातों में पेंशन का भुगतान किया जाएगा। ईएसआईसी कोविड19 रिलीफ स्कीम 24 मार्च 2020 से प्रभावी होकर दो साल तक मान्य रहेगी।

कौन-कौन आश्रित पात्र होंगे:

ईएसआईसी के नियम के तहत जीवनसाथी, वैध या गोद लिया बेटा जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम हो, अविवाहित वैध या गोद ली हुई बेटी और विधवा मां वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। मृत कर्मचारी के दैनिक औसत वेतन के 90 फीसदी के बराबर धनराशि उसके आश्रितों को दी जाएगी। इस 90 फीसदी को फुल रेट कहा जाता है। अगर एक से ज्यादा आश्रित हैं तो राहत का बंटवारा होता है।

कैसे कर सकते हैं दावा:

ईएसआईसी कोविड-19 रिलीफ स्कीम के तहत दावा करने वाले को सीआरएस-1 फॉर्म के साथ मृत कर्मचारी की कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट (वास्तविक या अटेस्टेट फोटोकॉपी) और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र (वास्तविक) निकटतम ईएसआई ब्रांच कार्यालय में जमा करना होगा। साथ में आश्रितों का आईडी प्रूफ और उम्र का प्रूफ देना होगा। इसके लिए आधार या बर्थ सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। मृत कर्मचारी के आश्रित की ओर से दावा किए जाने के 15 दिनों के भीतर उनके खाते में निर्धारित धनराशि जारी कर दी जाएगी।

सालाना हेल्थ जांच अनिवार्य किया गया:

केंद्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को सालाना हेल्थ चेकअप करना अनिवार्य कर दिया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीमित सदस्य इस दायरे में आएंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, 'हमने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू की है जिसके तहत हम प्रत्येक साल 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र के ईएसआईसी के बीमाकृत व्यक्तियों (आईपी) के लिए मुफ्त चिकित्सा जांच प्रदान कर रहे हैं। स्वस्थ भारत का हमारा सपना है।

31 दिसंबर तक जीवन प्रमाण देने की सुविधा:

केंद्र सरकार ने अपने पेंशनधारकों के लिए अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम समयसीमा को एक महीने के लिये आगे बढ़ा दिया गया है। जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने की अंतिम तारीख को 30 नवंबर 2021 से आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है।

DAS HYUNDAI

Das Building, Abu Lane, Meerut

Phone no.: 0121-2660052/2660335

आयकर पोर्टल पर मिलेगा बड़े लेनदेन का स्टेटमेंट

करदाताओं के सभी लेनदेन की निगरानी और आयकर रिटर्न को आसान बनाने के लिए विभाग ने फॉर्म 26एएस में अतिरिक्त जानकारियां भी शामिल की हैं। करदाता आयकर पोर्टल से लाभांश, म्यूचुअल फंड, विदेश से आए पैसे, प्रतिभूतियों में किए निवेश का भी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकेंगे।

आयकर विभाग ने करदाताओं के ज्यादा मूल्य वाले अन्य वित्तीय लेनदेन की जानकारियों को भी फॉर्म 26एएस में शामिल कर दिया था। इसे पोर्टल से पीडीएफ के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है। करदाता इस जानकारी का इस्तेमाल अपना रिटर्न भरने में कर सकेंगे।

साथ ही विभाग को भी सभी वित्तीय लेनदेन पर निगरानी करने में आसानी होगी। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए करदाताओं को अपने पैन का इस्तेमाल करना होगा। बजट में वित्तमंत्री ने बताया था कि रिवाइज फॉर्म 26एएस में करदाताओं को टीडीएस और टीसीएस के अलावा भी अन्य जानकारी दी जाएगी।

करदाता ऐसे डाउनलोड करें नया फॉर्म 26एएस:

आयकर पोर्टल पर अपने पैन के जरिये http://incometax.gov.in लॉग इन करने के बाद सर्विस टैब के तहत एआईएस पर क्लिक करना होगा। यहां करदाता को पूरी वित्तीय जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इसमें कोई असमानता है तो करदाता विभाग को विवरण के साथ संशोधन के लिए भेज सकता है। इस फॉर्म में पूरे वित्तवर्ष का लेखाजोखा रहेगा।

Radha Krishna Group of Companies

A House of leading Clearing and Forwarding Agents, Logistic Managements, Medical & Education

H.O.: Manjulika House, 221/5, Thapar Nagar, Meerut

Ph. No.: 09412207670, 09412205570

Email: bhushan.drbrij@gmail.com, sandeepgoel69@gmail.com

Branch Offices: **Meerut , Ghaziabad, New Delhi, Deheradun, Haldwani, Lucknow, Varanasi, Kanpur, Kundli & Rai (Sonipat)**

आयकर विभाग का सुझाव: ई-फाइलिंग पोर्टल से भरें रिटर्न, आईटीआर भरने की अंतिम तारीख है 31 दिसंबर

अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरा है तो जल्द दाखिल करें। आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2021 है, जो नजदीक आ रही है। आयकर विभाग ने करदाताओं को सुझाव दिया है कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना रिटर्न भर सकते हैं।

विभाग ने ट्वीट में कहा, 'जल्द फाइल करना बेहतर होगा। अभी दाखिल करें। हम केवल उन्हीं करदाताओं से ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये आईटीआर भरने का आग्रह करते हैं, जो ऑनलाइन रिटर्न भरते हैं।' विभाग ने बताया, 1.76 करोड़ से ज्यादा करदाता आकलन वर्ष 2021-22 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये आईटीआर दाखिल कर चुके हैं।

इन 12 चरणों में आसानी से भर सकते हैं आईटीआर:

1. ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाकर लॉगइन बटन पर क्लिक करें।
2. अपना यूजरनेम दर्ज कर कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें और फिर पासवर्ड डालें।
3. अब 'ई-फाइल टैब' पर क्लिक करने के बाद 'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न' विकल्प का चयन करें।
4. आकलन वर्ष 2021-22 का चयन करें और फिर कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें।
5. यहां आपसे 'ऑनलाइन' या 'ऑफलाइन' विकल्प चुनने को कहा जाएगा। 'ऑनलाइन' विकल्प चुनें और कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें।
6. व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) या अन्य में से 'व्यक्तिगत' विकल्प का चयन करें।
7. इसके बाद कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें।
8. आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में से किसी एक को चुनकर प्रोसीड बटन पर क्लिक करें।
9. छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के अंतर्गत 7वें प्रावधान के तहत रिटर्न का कारण पूछा जाएगा। ऑनलाइन आईटीआर भरते समय समय सही विकल्प चुनें।
10. इसके बाद अपने बैंक खाते का विवरण दर्ज करें।
11. अब आईटीआर दाखिल करने के लिए आपको एक नए पेज पर भेजा जाएगा।
12. अपना आईटीआर सत्यापित करें और रिटर्न की एक हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें।

Scrap policy 2021: पुरानी गाड़ी को कबाड़ में बदलने के बाद नई पर टैक्स छूट देने पर हो रहा विचार

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने कहा कि सरकार हाल में पेश राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति (National vehicle scrap policy) के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद खरीदी जाने वाली नई गाड़ियों पर कर संबंधित और रियायतें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। गडकरी ने यह भी कहा कि नई कबाड़ नीति से प्रदूषण में कमी आएगी।

रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक छूट की चर्चा:

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि कबाड़ नीति से केंद्र और राज्यों दोनों का माल एवं सेवा कर (GST) राजस्व बढ़ेगा। मैं वित्त मंत्रालय से इस पर चर्चा करूंगा कि नई नीति के तहत किस प्रकार कर संबंधित और छूट दी जा सकती हैं। नई नीति के तहत केंद्र ने कहा था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद नई गाड़ी लेने पर रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक छूट देंगे।

आखिरी फैसला वित्त मंत्रालय और जीएसटी परिषद करेगी:

गडकरी ने कहा कि वह जीएसटी परिषद से भी इस बात की संभावना टटोलने का आग्रह कर रहे हैं कि नई नीति के तहत क्या और प्रोत्साहन दिये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में आखिरी फैसला वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) और जीएसटी परिषद (GST Council) करेगी। मंत्री ने कहा कि कबाड़ नीति से सभी पक्षों को फायदा होगा क्योंकि इससे विनिर्माण को गति मिलेगी, नौकरियां पैदा होंगी और केंद्र और राज्यों दोनों को जीएसटी मद में 40,000-40,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व हासिल होगा। उन्होंने कहा कि कबाड़ नीति प्रदूषण पर लगाम लगाने और रोजगार पैदा करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

कबाड़ नीति से बिक्री 10 से 12 प्रतिशत तक बढ़ेगी:

गडकरी ने कहा कि पुरानी गाड़ियां नए वाहनों के मुकाबले ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं। इसलिए उन्हें हटाने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि कबाड़ नीति से बिक्री 10 से 12 प्रतिशत तक बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कबाड़ नीति अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें कच्चा माल कम लागत पर मिल सकेगा। इससे उत्पादन लागत में

कमी आ सकती है। गडकरी ने यह भी कहा कि केंद्र देश के हर जिले में कम-से-कम 3-4 वाहन पुनर्चक्रण या कबाड़ केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि अगले दो-तीन साल में 200-300 कबाड़ केंद्र होंगे।

Meerut Master Plan 2031 : मोबाइल के टच स्क्रीन पर खुलेगी मेरठ महायोजना

मेरठ महायोजना 2031 को जनता के समक्ष आने व लागू होने की उलटी गिनती शुरू हो गई है। इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस बार की महायोजना डिजिटल रहेगी। इससे पहले की सभी महायोजना प्रिंट फारमेट में हुआ करती थी। साथ ही उसका मानचित्र लोगों की समझ में नहीं आता था, जबकि इस बार का मानचित्र जूम करके भी देखा जा सकेगा।

आनलाइन रहेगी पूरी महायोजना:

पूरी महायोजना आनलाइन रहेगी। साथ ही किस खसरा का भूमि उपयोग क्या है उसे कोई भी देख सकेगा। यह व्यवस्था लौंगीट्यूड व लैटीट्यूड पर आधारित रहेगी। अब से पहले यह व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ एमडीए को ही भूमि उपयोग का पता रहता था। भूउपयोग जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एमडीए में मानचित्र भूउपयोग के अनुसार ही स्वीकृत होते हैं। उदाहरण के लिए बता दें कि कई उद्योगों, मीट प्लांट का मानचित्र इसलिए स्वीकृत नहीं हुआ था कि संबंधित भूउपयोग पर उद्योग या मीट प्लांट किसी भी स्थिति में स्वीकृत नहीं किए जा सकते। वहीं अब कोई भी जान सकेगा कि सड़क, उद्योग, शिक्षा हब कहां प्लान किया गया है। जियोग्राफिक इंफारमेशन सिस्टम (जीआइएस) केंद्रीयकृत मास्टर प्लान-2031 तैयार किया गया है। इससे शहर का सुनियोजित विकास सुनिश्चित हो सकेगा। कोई भी महायोजना के अनुसार अपनी आगे की योजना बना सकेगा। इस तरह से हर किसी का शहर के विकास में योगदान शामिल होगा।

पहली बार 10 साल के लिए बनी है महायोजना:

यह महायोजना 10 साल के लिए बनाई गई है। इससे पहले की सभी महायोजना 20 साल के लिए बनाई जाती थीं। दिल्ली-एनसीआर की महायोजना इस बार भी 20 साल के लिए बनाई गई है। मेरठ व अन्य शहरों की महायोजना 10 साल के लिए इसलिए बनाई गई है क्योंकि तेजी से बदल रहे शहर में 20 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। जबकि महायोजना के अनुसार सरकार व संस्थान अपनी योजनाएं नहीं बना पातीं। छोटा लक्ष्य रखने से तेजी से कार्य हो जाता है।

चार वर्ष में तैयार हो जाएंगी 32 औद्योगिक परियोजनाएं

औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया को आसान और तेज करने के लिए देशभर में 32 ऐसी परियोजनाएं तैयार की जा रही है जहां प्लग एंड प्ले की सुविधा होगी। देश के विभिन्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में स्थित सभी परियोजनाओं को वर्ष 2024-25 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कई परियोजनाओं पर काफी अधिक काम हो चुका है तो कई परियोजनाओं की शुरुआत होने वाली है। प्लग एंड प्ले की सुविधा होने से नए और छोटे उद्यमियों के लिए उत्पादन शुरू करना काफी आसान हो जाता है, क्योकि उन्हें एक ही जगह पर अभी सुविधाओं से लेस तैयार अवस्था में मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट मिलती है। इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उद्यमियों को न्यूनतम किराया चुकाना होता है। प्लग एंड प्ले वाली परियोजनाओं में उद्यमियों को कच्चे माल से लेकर श्रमिक और तैयार माल को बिक्री के लिए भेजने तक की सुविधा एक जगह ही मिल जायेगी।

काफी हद तक विकसित हो चुकी परियोजनाएं:

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के मुताबिक इन पांच परियोजनाओं में राज्य सरकार की तरफ से उद्यमियों को प्लाट देने का काम भी शुरू हो गया है।

- महाराष्ट्र में शेन्द्रा बिड़किन इंडस्ट्रियल एरिया
- उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप
- मध्यप्रदेश के उज्जैन के पास इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विक्रम उद्योगपुरी
- हरयाणा के नांगल चौधरी में इंटिग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब

Shivangi International

TRADING | MANUFACTURING | MINING | REAL STATE | FARM

A-216, 2nd Floor, Meerut Mall, Near Metro Plaza, Delhi Road, Meerut

Telephone: 0121-2517722, 2511578, 4002793

E-mail: info@shivangiinternational.com, shivangi2@gmail.com

Website: www.shivangiinternational.com

शहर में बनेंगे लॉजिस्टिक पार्क और वेयरहाउस, भूमि तलाशेंगे अधिकारी

परिवहन साधनों की सौगातों के बाद अब सरकार का लक्ष्य व्यापार को बढ़ावा देने के साथ आसान करने की ओर है। प्रदेश सरकार ने मेरठ में लॉजिस्टिक प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर की अध्यक्षता में 12 विभागों को प्लान बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके नोडल विभाग के तौर पर मेरठ विकास प्राधिकरण को जिम्मेदारी दी गई है।

लॉजिस्टिक प्लान में शहर में दवाई, सब्जियां, खाद्य पदार्थ आदि वस्तुओं के लिए वेयरहाउस, लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए जगह चिह्नित करने के लिए कहा गया है। शहर के बाहर परिवहन साधनों का उपयोग करके सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना, भेजना आदि कार्य किए जाने हैं। इसमें सबसे अधिक योगदान रैपिड रेल और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का होने वाला है। प्रदेश के सात शहरों में मेरठ को भी शामिल किया गया है। कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में उपायुक्त उद्योग, नगर निगम, एसएसपी, नगरायुक्त, उपाध्यक्ष एमडीए, प्रदूषण विभाग, लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एनसीआरटीसी, बिजली विभाग, केंद्रीय वेयर हाउसिंग विभागों के अधिकारियों से सुझाव मांगे गए। यातायात पुलिस ने शहर में पार्किंग की व्यवस्था सही न होने की बात कही थी।

मल्टी मॉडल परिवहन का अहम रोल:

शहर में व्यापार को आसान और रफ्तार से बढ़ाने के लिए मल्टी मॉडल परिवहन का अहम योगदान रहेगा। स्टेशन, बस अड्डे के आसपास खुला स्थान जरूरी है। साथ में ट्रक, टैंकर आदि के खड़े होने की व्यवस्था से सामान की माल-ढुलाई भी होनी चाहिए। इससे सामान आसानी से कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा।

विकास शुल्क में दी थी छूट:

लॉजिस्टिक पार्क को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल-2021 में हुई बोर्ड बैठक में काफी राहत दी गई थी। तत्कालीन कमिश्नर अनीता सी. मेश्राम की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में लॉजिस्टिक पार्क के लिए विकास शुल्क 25 प्रतिशत तय किया गया। इससे पहले विकास शुल्क 1167 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर पर लिया जाता है। लॉजिस्टिक पार्क के लिए भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।

यूपी को एक ओर सौगात- जेवर एयरपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के जेवर में बनने जा रहे देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे की आधारशीला रखते हुए भरोसा दिलाया कि यह एयरपोर्ट उत्तर भारत का 'लॉजिस्टिक गेटवे' (कार्गो हब) बनेगा और दिल्ली एवं पश्चिमी यूपी को इसका लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हवाई अड्डा बेहतरीन मॉडल बनेगा। यहां आने जाने के लिए मेट्रो, सड़क, रेल सभी तरह की सुविधाएं होंगी। दिल्ली-हरयाणा कही भी जाना हो, यहां से देश के अनेक शहरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा, हवाई अड्डे में विमानों की मरम्मत और रख रखाव की सुविधा रहेगी। इसका फायदा यह होगा कि देश के हवाई जहाजों को इन सेवाओं के लिए विदेश नहीं जाना पड़ेगा। विदेश से विमान ऐसी सेवाओं के लिए भारत आएंगे तो हमारी आमदनी बढ़ेगी। साथ ही, इससे यहां हजारो युवाओ को रोजगार मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे के जरिये यहां की औद्योगिक इकाइंया दुनिया के बाजारों से जुड़ेंगी और उत्पादों का निर्यात कर सकेंगी। यहां के किसान खासतौर पर छोटे किसान फल-सब्जी जैसी चीजे निर्यात कर पाएंगे। मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो या सहारनपुर का फर्नीचर, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, आगरा का फुटवेयर और पेठा को भी विदेशी बाजार तक पहुँचाना आसान होगा। उन्होंने कहा, हवाई अड्डे चलाने के लिए हजारो लोगो की जरुरत होती है, ऐसे में इनको रोजगार मिलेगा।

ऐसे बनेगा हब:

० देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा होगा, जिसे मल्टी मॉडल कार्गो हब की तरह बनाया गया है जहां से उत्पाद दुनिया भर में भेजे जा सकेंगे।

० कार्गो टर्मिनल की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन होगी, जो 80 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ सकेगी।

० हवाई अड्डे पर कार्गो के लिए अलग से एक रनवे आरक्षित होगा।

० उधर, यमुना प्राधिकरण द्वारा यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे टप्पल में लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है।

पुराने बिल्डर प्रोजेक्ट भी रेरा के दायरे में आएंगे: सुप्रीम कोर्ट

फ्लैट देने में देर करने पर अब बिल्डरो को बहुत महंगा पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट (RERA) की शक्ति बढ़ाते हुए कहा है कि रेरा के खिलाफ ऊंची अदालत में अपील करने के पहले रेरा के पास परियोजना लागत का 30 फीसदी जमा करना होगा। इससे वर्षो से अपना घर मिलने का इंतजार कर रहे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है।

प्रोजेक्ट अधूरा रखना महंगा पड़ेगा:

रेरा के गठन के समय जो प्रोजेक्ट अधूरे थे और जिनका कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला था वह भी रेरा के दायरे में आएंगे। विशेषज्ञो का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला घर खरीदारों के लिए पासा पलटने वाला साबित हो सकता है। देश में करीब 50 फीसदी प्रोजेक्ट इस श्रेणी में आ जाएंगे जिनका काम पिछले 10 से 15 साल में भी पूरा नहीं हुआ है।

रेरा हर तरह के फैसले ले सकता है:

मौजूदा समय में रेरा के फैसले पर कई तरह की आलोचनाएं रियल एस्टेट उद्योग करता था जिनमे जुर्माना अधिक लगाना, ऊंचे ब्याज की वापसी और फ्लैट देने के साथ मुआवजा आदि शामिल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रेरा सभी तरह के फैसले ले सकता है और वह नियमो के तहत मान्य होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा है कि रेरा नियमो के मुताबिक तय मानकों के तहत जुर्माना लगा सकता है, खरीदार को फ्लैट सौंपने के लिए बिल्डर को आदेश दे सकता है या जरुरत पड़ने पर नियमो के तहत वह कोई अन्य कार्यवाई कर सकता है और सभी मान्य होंगे।

INDRA BRICK WORKS

Manufacture of:

MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

Office: 6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road, Meerut City-250002

Mobile No.: 9737126444, 9837081518

Email: rajendra_2068@yahoo.com

Works: Malyana Before Bypass, Baghpat Road, Opp. DPS, Meerut City

अब शोरूम से ही मिल जाएंगे नए वाहनों के नंबर

अभी तक डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के जरिए आरटीओ कार्यालय से नए वाहनों के नंबर जारी किए जाते रहे हैं। अब 10 दिसंबर से प्रदेश भर के शोरूम से बिकने वाले नए वाहनों के नंबर तत्काल जारी हो जाएंगे। इसके लिए गाड़ी मालिक को आरटीओ कार्यालय चक्कर लगाने और जुगाड़ से मनपंसद नंबर लेने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी।

परिवहन आयुक्त मुख्यालय पर तैनात आरटीओ आईटी प्रभात पांडेय ने बताया कि प्रदेश भर में नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था शुरू की जा रही है। इससे डीलर प्वाइंट पर गाड़ी खरीदते ही नंबर का आवंटन हो जाएगा। इसके लिए किसी भी आरटीओ या एआरटीओ कार्यालय गाड़ी मालिक को जाने की जरूरत नहीं मिलेगी। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र शोरूम से ही मिलेगा।

वीआईपी व मनपंसद नंबर की एडवांस में बुकिंग कराएं:

नए वाहन स्वामी वीआईपी या मनपंसद लेना चाहते हैं तो वीआईपी नंबर के लिए नीलामी बोली में हिस्सा लेना पड़ेगा। मनपंसद नंबर के लिए दो पहिया लेने पर एक हजार रुपये व चार पहिया के लिए पांच हजार रुपये शोरूम पर मौके पर ही देकर नंबर की एडवांस में बुकिंग करा सकते हैं।

A Complete Processing Unit For:

High Quality Multicolour Corrugated Boxes Made From 5 Fully Automatic Imported Plant

Regd. Office & Works:

F.C.I. Godown Road, Vill. Kunda, Partapur, Meerut (U.P.), 250103 India

Ph.: (W) 0121-2440651, 2440652, Telefax: 0121-2440651

EMAIL: v.p.p.l@vsnl.net

यूपी 112 से जोड़े गए 9636 व्यावसायिक प्रतिष्ठान, घटना होने पर तत्काल मिलेगी मदद

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के 9636 प्रतिष्ठानों को यूपी 112 से जोड़ा गया है। इन प्रतिष्ठानों को एक अलॉर्म के जरिए यूपी 112 से जोड़ा गया है। इससे कोई घटना होने पर पुलिस बेहद कम समय में मौके पर पहुंच सकेगी।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि यूपी 112 से प्रतिष्ठानों के जुड़ने से आपातकालीन स्थिति में न्यूनतम समय में पुलिस, चिकित्सा, फायर सर्विस की मदद उपलब्ध हो सकेगी।

उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठानों में एक अलॉर्म स्थापित किया जाएगा। कोई घटना होने पर अगर किसी प्रतिष्ठान का अलॉर्म बजता है तो वहां की पूरी डिटेल लोकेशन के साथ यूपी 112 के डैश बोर्ड के साथ नजदीकी पीआरवी तक पहुंच जाएगी और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचेगी।

अलॉर्म रिसेप्शन सेंटर की मदद से गाड़ी को मौके पर भेजने में कम से कम चार से साढ़े चार मिनट की बचत होगी।

अब एक क्लिक पर दर्ज होगी साइबर अपराध की शिकायत

यदि आप साइबर अपराध के शिकार हो गए है तो अब आपको साइबर सेल के ऑफिस में जाने की जरुरत नहीं है। आप मेल के जरिये अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने cybercrimeme-up@nic.in मेल आईडी जारी की है।

XXXXXXXXXXXXX